न्यायालय श्री मान् राजस्व मन्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर म०प्र०

पुनरीक्षण क्रमांक /२०००

67

R 763-III/2000

[Court fee stamps: 10 Rs. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES; 2 Rs.; 2 Rs.; 1 Re. COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE]

श्री शिवप्रसाद द्विवेदी अधि. द्वारा प्रस्तुत 11-5-2000 ... 11-5-2000

१- रमेश कुमार तनय श्री शीतला प्रसाद ब्रा०

२- विनय कुमार तनय श्री शीतलाप्रसाद ब्रा०

३- सुकवरिया पत्नी श्री माधव प्रसाद ब्रा०

निवासीगण ग्राम मांजन(मानिकवार) तहसील

हनुमना, जिला रीवा म०प्र० ------ आवेदकगण

विरुद्ध

१- रामदरस तनयरामानुग्रह ब्रा० निवासी ग्राम बटहरी गांगनटोला

२- राधिका प्रसाद तनय विमला प्रसाद ब्रा०

३- रामलल्लू तनयरामरूप ब्रा०

४- रामायण प्रसाद तनय रामनरेश ब्रा०

५- रामपदारथ तनय कामता प्रसाद ब्रा०

निवासीगण ग्राम मांजन(मानिकवार) तहसील

हनुमना, जिला रीवा म०प्र०

६- मध्यप्रदेशराज्य --- -------- अनावेदकगण

पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता सन १९५९ विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा दिन १९-४-२००० जो अपील प्रकरण क्र०२१२/अ६अ/ ६४-६५ मेंपारित किया।

मान्यवर, ... के अतिरिक्त आधारों

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 763–तीन/2000 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23 –01–2017	आवेदक अधिवक्ता श्री एस0के0 श्रीवास्तव एवं अनावेदक अभिभाषक श्री योगेन्द्र भदौरिया द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया।	
	2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 212/अ–6–अ/2000 में पारित आदेश दिनांक 16–4–2000 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।	
	3/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खटसखरी तह0 हनुमना का सर्वे कमांक 904 रकवा 0.47 एकड़ राजिधकाप्रसाद, मुस0 बिरजुआ, रामनरेश, जुगुल किशोर, रामसभोले, रामलल्लू, रामपदारथ एवं माधौप्रसाद के सहभूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज था। उपरोक्त सहभूमिस्वामियों में से मात्र 3 सहभूमिस्वामियों राधिकाप्रसाद, रामलल्लू एवं रामायण प्रसाद ने इस आधार पर कि वादग्रस्त भूमि मय दो वृक्ष आम उनके हिस्से की है, दिनांक 28–8–92 के पंजीयत विकय पत्र से उत्तरावादी कमांक 1 रामदरस को विकय कर दिया। राजस्व निरीक्षक ने इस विकय पत्र के आधार पर ग्राम की नामांतरण पंजी की पुविष्टि कं. 79 दिनांक 10–9–92 के संदर्भ में आदेश दिनांक 30–9–92 से अनावेदक कमांक 1 रामदरस का नामांतरण कर दिया तथा हल्का पटवारी द्वारा पूरे रकबे के संबंध में इत्तलायाबी भी दर्ज कर दी। इस कार्यवाही के उपरांत हल्का पटवारी के प्रतिवेदन दिनांक 22–2–93 के आधार पर प्र0कं0 23/अ–6–अ/92–93 में 22–2–93 से ही	

एकपक्षीय आदेशपारित कर नायब तहसीलदार खटखरी ने पटवारी द्वारा पूरे रकबे बावत की गई इत्तलायाबी को संशोधित कर केवल विकेतागण के द्वारा धारित किये जाने वाले सांकेतिक रकबे तक सीमित कर दिया। केता उत्तरवादी कं 1 ने अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में प्रश्नाधीन आदेश की अपील दायर की। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रश्नाधीन आदेश से राजीनामा के आधार पर अपील स्वीकार की। राजीनामा यह था कि नामांतरण पंजी में किया गया प्रमाणीकरण आदेश यथावत रहेगा तथा नायब तहसीलदार द्वारा किया गया संशोधन आदेश निष्प्रभावी होगा। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जिसपर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 19–4–2000 के अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक का मुख्य रूप से तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि के सहभूमिस्वामियों को बिना पक्षकार बनाये राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये नामांतरण को जब नायब तहसीलदार ने सुधार दिया था और नामांतरण विकेतागण के द्वारा धारित किये जाने वाले सांकेतिक रकबे तक सीमित कर दिया था तब उसके विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी प्रस्तुत की गई उसमें आवेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया और विकेता तथा केता अनावेदक कमांक 1 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत करने के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया जबकि आवेदकगण को बिना पक्षकार बनाये एवं बिना सहमति अथवा सूचना के आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की परन्तु अपर आयुक्त ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि सभी पक्षकार प्रकरण में मौजूद नहीं थी और न ही सभी पक्षकारों की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया गया फिर भी नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त करने संबंधी अनुविभागीय

अधिकारी का आदेश स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा भी त्रुटि की गई है। अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि सहमति स्वरूप राजीनामा के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया था जिसे अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखा गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष है जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों एवं आदेश की प्रति का अवलोकन किया। यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि के सहभूमिस्वामी में से मात्र 3 सहभूमिस्वामी राधिका प्रसाद, रामलल्लू एवं रामायण प्रसाद ने वादग्रस्त भूमि का दिनांक 28–8–92 को विक्रय कर दिया जिसके आधार पर राजस्व निरीक्षक ने अनावेदक क्रमांक 1 का नाम दर्ज कर दिया। राजस्व निरीक्षक ने इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि सम्पूर्ण रकबे का नामांतरण किया जा रहा है जबकि अन्य सहभूमिस्वामियों द्वारा विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये गये और मात्र सांकेतिक रकबे तक ही नामांतरण किया जाना है। इसी कारण पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार ने प्रकरण में सांकेतिक रकबे तक अनावेदक क्रमांक 1 का नाम इत्तलाबी दर्ज करने के आदेश देने में उचित कार्यवाही की गई। जहां तक अनुविभागीय अधिकारी द्वारा राजीनामे के आधार पर अपील स्वीकार कर नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त करने का प्रश्न है चूंकि नायब तहसीलदार के आदेश के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष सभी सहभूमिस्वामियों को पक्षकार नहीं बनाया गया था और न ही राजीनामा सभी सहभूमिस्वामियों की ओर से प्रस्तुत किया गया था तथा सभी

भूमिस्वामियों को विधिवत सूचना भी नहीं दी गई थी। इस कारण अनुविभागीय अधिकारी को सभी सहभूमिस्वामियों को बिना सूचना दिये मात्र अनावेदक कमांक 1 एवं 3 सहभूमिस्वामी के राजीनामे के आधार अपील स्वीकार करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की है क्योंकि राजीनामा सभी सहभूमिस्वामियों की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया था। विधि की मंशा के अनुसार नामांतरण प्रकरण में सभी हितबद्ध एवं सहभूमिस्वामियों को पक्षकार बनाना विधिअनुसार आवश्यक है और यदि किसी प्रकरण का निराकरण राजीनामे के आधार पर किया जा रहा हो तो प्रकरण के सभी हितबद्ध/सहभूमिस्वामियों के हस्ताक्षर अथवा उपस्थिति में ही राजीनामा स्वीकार किया जाना चाहिए। इस कारण अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता है। अपर आयुक्त द्वारा इन महत्वपूर्ण तथ्य एवं आधार पर बिना विचार किये अपील अस्वीकार करने में त्रुटि की है इसलिए अपर आयुक्त का आदेश भी स्थिर नहीं रखा जा सकता।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी हनुमना द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–5–94 एवं अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–4–2000 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि सभी सहभूमिस्वामियों को पक्षकार बनाकर अथवा उन्हें विधिवत सूचना देने के उपरांत प्रकरण का गुण–दोषों के आधार पर निराकरण करें। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य